न्यायालय न्याय निर्णयन अधि[redacted]रिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	ता[redacted]	तारीख निर्णय
39 / 2018 प्रा.पत्र / 2018	25.06.2018	17.10.2025

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक राज0

..........प्रार्थी

बनाम

1–श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स अरिहन्त मार्केटिंग एजेन्सीज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक(राज0) निवासी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक राज0। पिनकोड–304502

2– अरिहन्त मार्केटिंग एजेन्सीज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक(राज0) निवासी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक राज0। पिनकोड–304502

3–श्री ज्ञानचन्द जैन प्रोपरायटर / एफ.बी.ओ. मैसर्स अरिहन्त एन्टरप्राईजेज 172 / 177, कुम्भा मार्ग, एनआरआई सर्किल, प्रताप नगर जयपुर राज0। पिनकोड–302033

4– मैसर्स अरिहन्त एन्टरप्राईजेज 172 / 177, कुम्भा मार्ग, एनआरआई सर्किल, प्रताप नगर जयपुर राज0। पिनकोड–302033

5– श्री विजय शंकर अग्रवाल पुत्र श्री प्रभूनारायण निवासी बी–4 शिव नगर बेनाड रोड झोटवाडा जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स श्री श्याम वेजिटेबल 113 ए गोविन्द नगर ईस्ट, आमेर रोड जयपुर राज0। पिनकोड–302002

6– मैसर्स श्री श्याम वेजिटेबल 113 ए गोविन्द नगर ईस्ट, आमेर रोड जयपुर राज0। पिनकोड–302002

..........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 व 2 श्री प्रमोद कुमार शर्मा
एवं अभिभाषक अप्रार्थी सं0 5 व 6 श्री तेजमल जैन उप0।

दिनांक 17/10/25

:–<u>निर्णय</u>–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.10.2017 को समय 05:42 पी.एम. पर मैसर्स अरिहन्त मार्केटिंग एजेन्सीज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विकेता की हैसियत से श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स अरिहन्त मार्केटिंग एजेन्सीज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक पर खादय पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विकेता होना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

बताया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगने पर नवीनीकरण हेतु आवेदन करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश जैन की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय करने हेतु दुकान में घी, चाय, तेल विभिन्न ब्रॉड, कन्फैक्शनरी व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ–साथ **ब्लेण्डेड इडिबल वेजिटेबल ऑयल चन्दन एगमार्क ब्राण्ड मूल पैक (Blended Edible Oil Chandan Agmark Brand Origional Pack)** 900–900 ग्राम के 10 नग तीन पेपर कार्टून मे वास्ते आम जनता को विकय हेतु दुकान में रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि **ब्लेण्डेड इडिबल वेजिटेबल ऑयल चन्दन एगमार्क ब्राण्ड मूल पैक (Blended Edible Oil Chandan Agmark Brand Origional Pack)** दुकान में 3 पेपर कार्टून में से एक पेपर कार्टून का चयन कर उसको खोलकर 900–900 ग्राम के **ब्लेण्डेड इडिबल वेजिटेबल ऑयल चन्दन एगमार्क ब्राण्ड मूल पैक (Blended Edible Oil Chandan Agmark Brand Origional Pack)** में से 4 नग प्रत्येक 900–900 ग्राम वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा कुल मात्रा 4 नग **ब्लेण्डेड इडिबल वेजिटेबल ऑयल चन्दन एगमार्क ब्राण्ड मूल पैक (Blended Edible Oil Chandan Agmark Brand Origional Pack)** में से बराबर–बराबर (प्रत्येक भाग 900 ग्राम) अलग–अलग चार साफ व सूखी प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर, डिब्बों को अच्छी तरह नियमानुसार एयरटाईट बन्द किया, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1778 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1778 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक एवं मानक प्रयोगशाला, अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता ने बतौर वारन्टी अरिहन्त मार्केटिंग एजेन्सीज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक का बिल प्रस्तुत किया एवं अरिहन्त मार्केटिंग एजेन्सीज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक ने बतौर वारन्टी .मैसर्स अरिहन्त एन्टरप्राईजेज 172/177, कुम्भा मार्ग, एनआरआई सर्किल, प्रताप नगर जयपुर का बिल प्रस्तुत किया एवं मैसर्स अरिहन्त एन्टरप्राईजेज 172/177, कुम्भा मार्ग, एनआरआई सर्किल, प्रताप नगर जयपुर ने बतौर वारन्टी मैसर्स श्री श्याम वेजिटेबल 113 ए गोविन्द नगर ईस्ट, आमेर रोड जयपुर का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना अवगत कराया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2017/4788 दिनांक 04.12.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल0एस0/740/एक्ट/2017/766 दिनांक 21.11.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **ब्लेण्डेड इडिबल वेजिटेबल ऑयल चन्दन एगमार्क ब्राण्ड मूल पैक (Blended Edible Oil Chandan Agmark Brand Origional Pack)** एफ.एफ.एस.ए. का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषकगण उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **ब्लेण्डेड इडिबल वेजिटेबल ऑयल चन्दन एगमार्क ब्राण्ड मूल पैक (Blended Edible Oil Chandan Agmark Brand Origional Pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक(Sub-**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 के जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **ब्लेण्डेड इडिबल वेजिटेबल ऑयल चन्दन एगमार्क ब्राण्ड मूल पैक (Blended Edible Oil Chandan Agmark Brand Origional Pack)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं0 1 ता 4 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय किया है अतः अप्रार्थी सं0 1 ता 4 को दोषमुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं0 5 व 6 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं0 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/10/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0